न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः–3/2022 (GCMS No. 2022/3) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. चन्द्रप्रकाश
2. बृजमोहन } पुत्रान कल्याण
3. भगवानसिंह
4. राधादेवी पुत्री कल्याण
5. पीतमदेवी पुत्री कल्याण

} जाति तेली निवासी ससेडी तहसील व जिला करौली।

.....अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली।

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 30.06.2004 न्यायालय जिला कलक्टर करौली अपील संख्या 36/03 उनवानी सरकार बनाम कल्याण।

उपस्थितिः–

1. अपीलाट्स की ओर से श्री पंकज कुमार, वकील।
2. रेस्पों. की ओर से श्री निरंजन सिंह राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक : 20.12.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 30.06.2004 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांटस के पिता स्व. कल्याण को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.10.1975 को आराजी ख.नं. 231/2 रकवा 5 बीघा ग्राम ससेडी तहसील करौली जिला करौली का आवंटन किया गया। जिसका अमल जमाबंदी में होकर स्व. कल्याण गैर खातेदार दर्ज हो गया। स्व. कल्याण की मृत्यु दिनांक 04.03.2016 के बाद वर्तमान में विरासत के आधार पर अपीलांटस खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। तहसीलदार करौली द्वारा उक्त आवंटन आदेश के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र 14(4) सरकार बनाम कल्याण न्यायालय जिला कलक्टर करौली में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट के पिता को सुनवाई का मौका दिये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपीलाधीन आदेश से आवंटन आदेश दिनांक 20.10.1975 को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री निरंजन सिंह राजकीय अधिवक्ता पैरवी हेतु हाजिर अदालत आये।
3. विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपने अपील मीमो व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित तथ्यो को मौखिक रूप से दोहराते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाते हुये दलील दी कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2004 एकतरफा में पारित किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी। दिनाक 30.12.2021 को जब प्रार्थीगण पटवारी हल्का से खातेदारी कराने के लिए मिले तब जानकारी हुई। तत्पश्चात दिनांक 31.12.2021 को निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल प्राप्त होते ही बिना देरी होने व जानकारी से मिलने नकल से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत कर दी। म्याद के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के पिता स्व. कल्याण को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। जो नोटिस जारी हुये वह अपीलांटस के पिता पर तामील न होकर किसी मंगल नामक व्यक्ति ने प्राप्त किये। गांव की पार्टीबन्दी के आधार पर उन्हीं लोगों ने अपीलांट के पिता की तरफ से हाजिरी दर्ज करा दी और अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटस के पिता के हाजिर हुये ही समस्त कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। यह कहना कि अपीलांटस के पिता ने आवंटन के बाद मौके पर काश्त नहीं की है। मौके व रिकार्ड के विपरीत है। आवंटन के पहले आवंटी स्व. कल्याण द्वारा और उनकी मृत्यु के बाद आज दिनांक तक अपीलांटस द्वारा मौके पर काश्त की जा रही है। काश्त हमारी हो रही है। खसरा गिरदावरी पेश कर रखी है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2004 का आदिनांक तक अमल नहीं हुआ है। राज्य सरकार द्वारा भी नियमों में संशोधन कर आवंटी द्वारा काश्त किये जाने की शर्त को हटा दिया गया है। अपीलांट को सुनवाई का मौका मिलता तो समस्त तथ्य न्यायालय के समक्ष आ जाते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा रिकार्ड व बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट स्व. कल्याण फौत हो गया जिसके वारिसान के नाम नामांतरकरण खुल गया। उसी तहसीलदार ने नामांतरकरण स्वीकृत किया जिसने 14(4) पेश की थी। हाल जमाबंदी में हमारा नाम है खसरा गिरदावरी भी पेश की है। मौके पर पहले स्व. कल्याण व आज दिनांक तक अपीलांटस द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

काश्त की जा रही है। स्व. कल्याण की मृत्यु के बाद इसी आराजी पर विरासत का दाखिल खारिज संख्या 667 दिनांक 20.10.2019 अपीलांटस के पक्ष में मंजूर हुआ जिससे सिद्व है कि मौके पर आवंटियों का कब्जा है। अपीलांट ने यह भी दलील दी कि " After deletion of condition of cultivating land, allotment cannot Be cancelled on this ground " और इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2022–23 (Supp.) आरआरटी पेज 112 भी उद्धत किया तथा साथ ही यह भी दलील दी कि आवंटन को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही बहुत लम्बे समय बाद की गई है और इतनी अवधि बाद कार्यवाही वैध नहीं है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2018 पेज 436, आरबीजे 2017 पेज 536 (एससी), आरबीजे 2020 पेज 648 एवं आरबीजे 2017 पेज 31 उद्धत किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2004 निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान पैरोकार सरकार ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों का विरोध करते हुये तर्क दिया कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है जो संधारणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल सही है। अपीलांट द्वारा आवंटन के बाद विवादित आराजी पर काश्त नहीं की गई थी जिससे उनका आवंटन निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांट द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समय–समय पर पारित निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलांटस के पिता कल्याण पुत्र बुधू तेली को दिनांक 20.10.1975 को आराजी खसरा नम्बर 231/2 रकवा 5 वीघा वांके ग्राम ससेडी तहसील करौली में आवंटित हुई थी और इसके आधार पर आवंटी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुआ था और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियात में भूमि को बारानी–तृतीय एवं बंजड दिखाया गया है। साथ ही तामील के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि तामील पर मंगल नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं और मंगल से अप्रार्थी कल्याण का क्या रिश्ता है ये स्पष्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नहीं हैं जिससे स्पष्ट होता है कि तामील अप्रार्थी कल्याण पर न होकर किसी अन्य व्यक्ति को हुई है जिससे तामील को प्रोपर नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी का आवंटन होने के 28 वर्ष बाद तहसीलदार द्वारा यह कार्यवाही प्रस्तुत की गई। ऐसे में इतने लंबे अंतराल के बाद अपीलांट के पिता को खातेदारी दिये जाने के स्थान पर 14(4) एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। विवादित भूमि पर कल्याण की मृत्यु के बाद उसके वारिस अपीलांटस चन्द्रमोहन, बृजमोहन, भगवानसिंह पुत्रगण कल्याण, राधादेवी पुत्री कल्याण एवं पीतमदेवी पत्नी कल्याण के नाम नामांतरकरण प्रामाणित है और यह कार्यवाही भी राजस्व कर्मियों द्वारा ही वर्ष 2019 में निष्पादित करवायी गई है। हम विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों से पूर्णतया सहमत हैं तथा उनके द्वारा उद्धत माननीय न्यायालय के दृष्टांत भी उनके मददगार साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. फलस्वरूप अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.06.2004 निरस्त किया जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 20.12.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर